

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. श्रवण कुमार काजला पुत्र श्री मूलचन्द जाति जाट निवासी ठीकरिया तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज।

- वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 571 / 2025

जीसीएमएस नं० 2025/1137


आदेश

दिनांक - 11/09/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम ठीकरिया तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 100, 101, 102, 153, 163, 164, 244, 245 में दर्ज वादी के पिता का गलत दर्ज नाम "श्रवण पुत्र मुरली" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "श्रवण कुमार काजला पुत्र मूलचन्द" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी यादव
राजद्वार सिंह
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)



डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

- श्रवण कुमार काजला पुत्र श्री मूलचन्द जाति जाट निवासी ठीकरिया तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—वादी

बनाम

- तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड
मुकदमा नं. 571 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस. व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्ई रूबरू मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम ठीकरिया तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 100, 101, 102, 153, 163, 164, 244, 245 में दर्ज वादी के पिता का गलत दर्ज नाम "श्रवण पुत्र मुरली" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "श्रवण कुमार काजला पुत्र मूलचन्द" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।
बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 09 सन् 2025 को जारी की गई।



दस्तखत
आहदा.....

रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	रुपये श्रवण कुमार सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना